संख्या– 1108 /सत्तर–6–2014–89/2014

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 331 /रा०उ०शि०प०/2
दिनांक 18-8-14

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊःदिनांक 01 अगस्त, 2014

विषयः महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा स्थापित महाविद्यालय/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों व विषयों को प्रारम्भ किये जाने हेतु राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 यथासंशोधित की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन पूर्वानुमति दिये जाने की व्यवस्था थी। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सत्र, 2014–2015 हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 03 जून, 2014 में यह संस्तुति की गयी थी कि विश्वविद्यालय/सम्बद्धता समिति द्वारा पाई गयी कमियों के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा प्रबन्धतंत्र को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले में सुनवाई करने के उपरान्त अपनी संस्तुति दी जाय। उक्त के क्रम में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को दिनांक 02 जुलाई, 2014 को विशेष सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई करने के उपरान्त प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निम्नवत् संस्तुति की गयी हैः–

क्रम	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय की आख्या/विभागीय सम्बद्धता समिति द्वारा पायी गयी कमियां	संस्तुति
1	कावेरी देवी महिला महाविद्यालय, गायघाट, बड़हलगंज, गोरखपुर।	बी०ए० (प्रपत्र–बी)	महाविद्यालय के नाम अनापत्ति शर्त–7 में उल्लिखित भूमि 0.761 हे0 अंकित है, जबकि खतौनी के अनुसार महाविद्यालय के नाम कुल 0.4428 हे0 भूमि अंकित है, जबकि निरीक्षण मण्डल की आख्यानुसार महाविद्यालय के नाम 1.075 हे0 भूमि दर्शायी गयी है।	सम्बद्धता के सम्बन्ध में सुनवाई के दौरान श्री राजेश त्रिपाठी, प्रबन्धक उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्रमाणपत्र की मूलप्रति प्रस्तुत की गयी। उक्त महाविद्यालय असेवित योजना से आच्छादित है तथा भूमि शासन के पक्ष में बन्धक है। अतः उक्त महाविद्यालय को दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु सशर्त सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।
2	गंगा जमुना महाविद्यालय, रायगंज, गोरखपुर।	बी०ए० (प्रपत्र–बी)	महाविद्यालय के नाम गाटा संख्या–701/0.987 एवं गाटा संख्या–702/0.016 हे0 कुल रकबा 1.003 हे0 निरीक्षण मण्डल की आख्यानुसार महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्शाया गया है, जबकि कम्प्यूटर द्वारा निर्गत खतौनी के अनुसार गाटा संख्या–701/0.987 हे0 भूमि महाविद्यालय के नाम के साथ	सुनवाई के दौरान प्रबन्धक, श्री शम्भूशरण यादव उपस्थित हुये। उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि खाता संख्या–701 के अन्तर्गत 9,870 स्कवायर मीटर भूमि संस्था के नाम है। इसके अतिरिक्त खाता संख्या–702 के अन्तर्गत 160 वर्गमी0 भूमि महाविद्यालय के नाम हे। इस प्रकार कुल भूमि 10,003 स्कवायर मीटर है। अतः उक्त महाविद्यालय को दिनांक 01–07–2014 से प्रपत्र–बी में इंगित कमियों

			उमेश, रमेश श्रीमती अनिता देवी और श्रीमती लालती देवी का नाम भी अंकित है।	की पूर्ति की शर्त के अधीन सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।
3.	जे0बी0 महाजन महिला पी0जी0 कॉलेज, चौरीचारा, गोरखपुर।	एम0ए0 (हिन्दी एवं राजनीतिशास्त्र) (प्रपत्र–बी)	विश्वविद्यालय द्वारा कमरों की माप हेतु गठित समिति द्वारा केवल चार कमरों का माप ही अंकित किया गयाहै, जो मानकानुसार है। अन्य कमरों की माप के बारे में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गयी है।	सुनवाई के दौरान श्री ईश्वर चन्द्र जायसवाल, प्रबन्धक उपस्थित हुये। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि विद्यालय पहले से चल रहा है। उनके द्वारा राजनीतिशास्त्र एवं हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता हेतु आवेदन किया गया है, जिसके लिए आवश्यक कक्ष विद्यालय उपलब्ध है और यह कक्ष निर्धारित माप के हैं। अतः उक्त महाविद्यालय को दिनांक 01–07–2014 से आगामी दो वर्षों हेतु सशर्त सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।
4.	राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, परतावल बाजार, महराजगंज	बी0ए0 (प्रपत्र–बी)	निरीक्षण मण्डल की आख्यानुसार महाविद्यालय के दो व्याख्यान कक्ष निर्माणाधीन है। महाविद्यालय की चहारदीवार के प्लास्टर का कार्य अपूर्ण एवं शौचालय निर्माणाधीन है।	सुनवाई के दौरान प्रबन्धक, श्री प्रज्ञेश कृष्ण त्रिपाठी उपस्थित हुये। उनके द्वारा शपथपत्र दिया गया है कि महाविद्यालय के दो व्याख्यान कक्ष, चहारदीवारी का प्लास्टर कार्य एवं शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अतः उक्त महाविद्यालय को दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की संस्तुति की जाती है।
5.	ए0वी0आर0ए ल0 पी0जी0 महाविद्यालय, गिठनी, चंद्रहर, संतकबीर नगर	एम0ए0 (समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र)	निरीक्षण मण्डल की आख्या अप्राप्त।	महाविद्यालय पूर्व से संचालित है। अतः छात्रहित में सत्र 2014–15 के विस्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।
6.	ए0वी0आर0ए ल0 पी0जी0 महाविद्यालय, गिठनी, चंद्रहर, संतकबीर नगर	बी0कॉम0 एवं बी0एससी0	निरीक्षण मण्डल की आख्या अप्राप्त।	महाविद्यालय पूर्व से संचालित है। अतः छात्रहित में सत्र 2014–15 के विस्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।

7.	एस0डी0 मेमोरियल स्नातक महाविद्यालय, नौत्तन, देवरिया।	बी0ए0	निरीक्षण मण्डल की आख्या अप्राप्त।	महाविद्यालय पूर्व से संचालित है। अतः छात्रहित में सत्र 2014–15 के विस्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।
8.	चंद्रिका प्रसाद मिश्र महाविद्यालय, जोगिया पाठक, शंकरपुर, बस्ती।	बी0ए0	निरीक्षण मण्डल की आख्या अप्राप्त।	महाविद्यालय पूर्व से संचालित है। अतः छात्रहित में सत्र 2014–15 के विस्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।
9.	सिद्दीक अहमद पी0जी0 कॉलेज, दिस्तरौली, चमकी, देवरिया।	बी0एससी0 (उर्दू एवं गृहविज्ञान अतिरिक्त विषय)	निरीक्षण मण्डल की आख्या अप्राप्त।	महाविद्यालय पूर्व से संचालित है। अतः छात्रहित में सत्र 2014–15 के विस्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।
10.	बापू स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीपीगंज, गोरखपुर।	एम0ए0 (हिन्दी)	निरीक्षण मण्डल की आख्या अप्राप्त।	महाविद्यालय पूर्व से संचालित है। अतः छात्रहित में सत्र 2014–15 के विस्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।
11.	डा0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, नौतनवा, महाराजगंज	एम0ए0 (भूगोल एवं समाजशास्त्र)	निरीक्षण मण्डल की आख्या अप्राप्त।	महाविद्यालय पूर्व से संचालित है। अतः छात्रहित में सत्र 2014–15 के विस्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।
12.	स्वर्ण जयन्ती महाविद्यालय, पिपराईच, गोरखपुर।	एम0ए0 (समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र) (प्रपत्र–बी)	निरीक्षण मण्डल की आख्या अप्राप्त।	सुनवाई के दौरान उप–कुलसचिव द्वारा उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता हेतु दिनांक 01–07–2014 से आगामी एक वर्ष हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। चूंकि महाविद्यालय पुराना महाविद्यालय है और पूर्व से संचालित है। अतः उक्त महाविद्यालय को दिनांक 01–07–2014 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।

13-	बुद्ध बालिका महाविद्यालय, गौतमपल्ली सिद्धार्थ नगर	बी0एससी0	निरीक्षण मण्डल की आख्या	महाविद्यालय को बी.एससी. पाठ्यक्रम में प्राप्त सम्बद्धता की अवधि 2010 में समाप्त हो गयी है। अतः विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाय कि पुनः निरीक्षण कराकर प्रकरण का अपने स्तर से निस्तारण करायें।

विशेष सचिव द्वारा की गयी संस्तुतियाँ जो महाविद्यालय के नाम के सम्मुख अंकित हैं, को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम–2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है।

3– उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उक्त संस्तुतियों के क्रम में कार्यवाही/सम्बद्धता के आदेश अपने स्तर से निर्गत किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें ताकि सत्र, 2014–2015 के संचालन में व्यवधान उत्पन्न न हो।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या– 1108 (1)/सत्तर–6–2014, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, 15–सी, दाऊदपुर, गोरखपुर।
(3) सचिव/प्रबन्धक, संबंधित समस्त महाविद्यालय।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।